राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1329-83 दिनांक : 12-06-2015

बैठक कार्यवाही विवरण

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 को 11:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :–

- श्री पुरूषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/ प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :–
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर
  - क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, अलवर
  - उप नगर नियोजक, उदयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर),
  - सहायक नगर नियोजक, बीकानेर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर)
  - सहायक नगर नियोजक, जोधपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर)

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	97
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	85
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने	11
04.	निगरानी अपील का निस्तारण	1

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 29.12.2014 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत् चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की इस बैठक में प्रथम बार भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण जी.आई.एस. तकनीक के माध्यम से ऑनलाईन सैटेलाईट ईमेज पर मास्टर प्लान व आवेदित स्थल को सुपर इम्पोज कर किया जा रहा है, ताकि मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके। साथ ही सभी नगर पालिकाओं के अधिकारियों को इस तकनीक को अपनाने/सीखने पर जोर दिया गया। समिति द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु निम्नानुसार नगरीय निकायों को सामान्य निर्देश प्रदान किये गये कि:–

(i) सभी नगरीय निकायों में लम्बित भू–उपयोग परिवर्तन तथा भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं द्वितीय बुधवार को स्थानीय स्तर पर बैठक का आयोजन सुनिश्चित् किया जावे एवं इन दिवसों में अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस पर इस बैठक का आयोजन किया जावे, ताकि आम नागरिको के कार्यों के निस्तारण के साथ–साथ नगरीय निकायों की राजस्व आय में भी वृद्धि हो सके। सप्ताह में स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित की जावेगी।

(ii) राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक प्रत्येक माह में की जावेगी।

(iii) भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन शुल्क का प्रावधान तो है, किन्तु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अतः इस हेतु पृथक से प्रस्ताव तैयार किया जावे।

(iv) समस्त नगरीय क्षेत्रों हेतु बनाये गये मास्टर प्लान क्षेत्र का सैक्टर प्लान तैयार किया जावे विशेषतया परिधि नियंत्रण क्षेत्र में सैक्टर रोड नैटवर्क प्लान बनाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं समिति में लिये गये निर्णयों के तहत् प्रस्तावित सड़को की मौके पर पालना सुनिश्चित् की जावे।

(v) समस्त आवासीय / शैक्षणिक / औद्योगिक उपयोग में ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज निस्तारण एवं वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट व रीसाइकलिंग की व्यवस्था व आगन्तुको हेतु शौचालय की निर्माण की पालना सुनिश्चित् की जावेगी साथ ही बायो – टॉयलेट, एल.ई.डी., लाईटिंग एवं सोलर लाईटिंग के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जावेगा।

(vi) नयी विकसित होने वाली आवासीय योजनाओं के सड़को पर पैदल चलने वालो हेतु फुटपाथ व साईकिल ट्रेक की व्यवस्था सुनिश्चित् की जावेगी।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण संलग्न है। उक्त कार्यवाही विवरण राज्य सरकार से अनुमोदित है।

12/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी / एसटीपी / एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग / 14 / 1329-83 दिनांक : 12-6-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन, संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)।

12/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी / एसटीपी / एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग / 14 / 1329-83 दिनांक : 12-06-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एवं उप नगर नियोजक अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़, दौसा, गंगापुरसिटी, बून्दी, पाली, राजसमंद एवं डूंगरपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), रावतसर, रायसिंह नगर, रतनगढ़, पदमपुर, सरदारशहर, चाकसू, शाहपुरा (जयपुर), सादडी (पाली), सोजत, बेगूं, देवगढ़, पुष्कर, तिजारा, पीलीबंगा, निम्बाहेडा, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, नीम का थाना, विराटनगर, मुकुन्दगढ़, फुलेरा, भीनमाल, सुमेरपुर, बिलाड़ा, मांगरोल, भीण्डर, आमेट, बड़ी सादड़ी, सांभर लेक, राजगढ़ (चुरू), परबतसर, खैरथल एवं कपासन।

12/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1331-1338 दिनांक : 15/6/15

वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/अजमेर
उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र, अलवर।

विषयः–नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

15/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.–सीलू–मीटिंग/14/1339-1389 दिनांक : 15/6/15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एवं उप नगर नियोजक अलवर उप क्षेत्र।
2. आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़, दौसा, गंगापुरसिटी, बून्दी, पाली, राजसमंद एवं डूंगरपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), रावतसर, रायसिंह नगर, रतनगढ़, पदमपुर, सरदारशहर, चाकसू, शाहपुरा (जयपुर), सादडी (पाली), सोजत, बेगूं, देवगढ़, पुष्कर, तिजारा, पीलीबंगा, निम्बाहेडा, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, नीम का थाना, विराटनगर, मुकुन्दगढ़, फुलेरा, भीनमाल, सुमेरपुर, बिलाड़ा, मांगरोल, भीण्डर, आमेट, बड़ी सादड़ी, सांभर लेक, राजगढ़ (चुरू), परबतसर, खैरथल एवं कपासन।

15/06/2015
(आर..के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

बैठक उपस्थिति

नगर निगम/परिषद/पालिका से सम्बन्धित भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डीएलबी/एसटीपी/एसएलसी/सीलू/14/01 दिनांक 11.12.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 को सभागार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर में प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	नाम निकाय
1.	श्री पुरूषोत्तम बियानी	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
2.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	वरिष्ठ नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
3.	एस.एल. सेठी	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर
4.	ओ.पी. पारीक	वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन, जयपुर
5.	एस. ~~दनक्ते~~ [illegible]	वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
6.	शशिकान्त	वरिष्ठ नगर नियोजक, अलवर
7.	अरविन्द सिंह कानावत	उप नगर नियोजक उदयपुर जोन
8.	मुकेश जांगिड़	सहायक नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
9.	सुनिल चौहान	सहायक नगर नियोजक, जोधपुर
10.	सुरेश कुमार जैन	सहायक नगर नियोजक, न.प. बून्दी
11.	भूपेन्द्र कुमार	सहायक नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
12.	श्रवण बिश्नोई	कमिश्नर,नगर परिषद, हनुमानगढ
13.	प्राहलाद रवि वर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. कपासन
14.	दिलीप शर्मा	आयुक्त, गंगापुर सिटी
15.	मोहन चन्द बंसल	आयुक्त, न.प. दोसा
16.	राम सिंह पालावत	न.प. पाली
17.	ओम प्रकाश शर्मा	न.पा. रतनगढ़
18.	ललित सिंह देया	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. निम्बाहेड़ा
19.	पूजा मीणा	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, फुलेरा
20.	रविन्द्र जैन	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. रायसिंहनगर
21.	भसमा राम जैन	कमिशनर एच.पी. डीपीआर
22.	गुरदीप सिंह	अधिशाषी अधिकारी न.पा पीलीबंगा
23.	नरेश कुमार राठोर	अधिशाषी अधिकारी, बेंगू
24.	करणी सिंह सौदा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. आमेट
25.	आलोक चौधरी	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सादुलशहर
26.	अजय सिंह ढाकड़	सहायक अभियन्ता, नगर पालिका, रावतसर
27.	दीपक मीणा	सहायक अभियन्ता, नगर निगम, नाथद्वारा
28.	ममता नागर	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. शाहपुरा
29.	हरिनारायण यादव	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सांभर
30.	नवरतन शर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. चाकसू
31.	सोहनलाल	न.पा. श्रीकरणपुर
32.	शैलेन्द्र गोयल	न.पा. पदमपुर
33.	रूपसिंह चौहाण	एलडीसी, न.प. राजसमन्द
34.	सोम मिश्रा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा, सादड़ी
35.	नारायण दान	सहायक अभियन्ता, न.पा. सोजत
36.	जगदीश लाल	एलडीसी, न.पा. सोजत
37.	मोहन सिंह भाटी	कनिष्ठ लिपिक, न.पा. बड़ी सादड़ी
38.	गणपत लाल खटीक	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. गंगापुर (भीलवाड़ा)

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 53/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूँगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री लक्सी पिता कानजी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम भाटपुर के खसरा नं0 954/941/434
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 0.32 हैक्टेयर में से 0.17 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006	पार्क, खुला क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) में पार्क, खुला क्षेत्र प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि डूंगरपुर से हॉस्पिटल लिंक रोड से माथुगामडा सड़क के पश्चिम में परिषद द्वारा प्रस्तावित 40 फीट रास्ते पर स्थित है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राष्ट्रदूत समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 18/सी) में दिनांक 19.11.13 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 13.12.13 द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.04.10 एवं 25.02.11 के तहत उक्त उपयोग का स्थानीय स्तर पर भू–उपयोग परिवर्तन निषेद्य होने से राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात प्रकरण सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णय लिया जाकर भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत पार्क, खुला क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के पार्क, खुला क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि डूंगरपुर से हॉस्पिटल लिंक रोड से माथुगामडा सड़क के पश्चिम में परिषद द्वारा प्रस्तावित 40 फीट रास्ते पर स्थित है। अतः 40 फीट रास्ते की सुनिश्चितता की जानी होगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 4. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 54/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूंगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूंगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति जया, चन्दा, भूरी पिता लक्ष्मण वो, तुलसी बेवा लक्ष्मण, ना.बा. वली माता श्रीमति तुलसी पत्नि लक्ष्मण एवं थावरा, अमरा पिता बदा मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम भाटपुर के खसरा नं0 426/1, 427/1, 438, 439, 440 व 441/1 कुल रकबा 40946 वर्गफीट
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 0.380 हैक्टेयर (40946 वर्ग फीट)
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा खुला स्थल, खेल मैदान
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2006 (Extended-2016) में अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा खुल स्थल, खेल मैदान प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान-2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि डूंगरपुर से हॉस्पिटल लिंक रोड से माथुगामडा सड़क के पश्चिम में परिषद द्वारा प्रस्तावित 40 फीट रास्ते पर स्थित है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 01.05.13 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 24.07.2013 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा खुला स्थल, खेल मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा खुला स्थल, खेल मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित भूमि डूंगरपुर से हॉस्पिटल लिंक रोड से माथुगामडा सड़क के पश्चिम में परिषद द्वारा प्रस्तावित 40 फीट रास्ते पर स्थित है। अतः 40 फीट रास्ते की सुनिश्चितता की जानी होगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 4. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 55/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूँगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री कन्हैया लाल, विरेन्द्र कुमार, सुशीला, विजय कुमारी पिता गोरधन लाल, कन्हैया लाल पिता गोरधन लाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम राजपुर के खसरा नं0 952
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 0.13 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2006 (Extended-2016) में अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा खुल स्थल, खेल मैदान प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान-2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल डूंगरपुर से उदयपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 09.07.13 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 07.11.2013 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक प्रयोजनार्थ से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर से उदयपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। अतः मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार सड़क में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण कराया जावेगा। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 4. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(हस्ताक्षर)
आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 56/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूँगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री गौतम पिता जीवा मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कुशालमगरी के खसरा नं0 239 रकबा 1 बीघा (17424 वर्गफीट)
3.	क्षेत्रफल	0.16 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	भण्डारण एवं गोदाम हेतु
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) में भूमि भण्डारण एवं गोदाम प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। नगर परिषद द्वारा भूमि के सामने 40 फीट मार्ग प्रस्तावित किया गया है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 28.05.13 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 03.07.13 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्टया कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. नगर परिषद द्वारा भूमि के सामने 40 फीट मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 4. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 57/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूँगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति प्रसन्न कुंकर पत्नि श्री देवेन्द्र सिंह चौहान
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम डूँगरपुर के खसरा नं0 687 कुल रकबा 18 बिस्वा (15681 वर्गफीट)
3.	क्षेत्रफल	0.14 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	भण्डारण एवं गोदाम हेतु
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) में भूमि भण्डारण एवं गोदाम प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। नगर परिषद द्वारा भूमि के सामने 40 फीट मार्ग प्रस्तावित किया गया है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना पंजाब केसरी समाचार पत्र में दिनांक 05.01.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. सहायक नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 12.02.14 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. नगर परिषद द्वारा भूमि के सामने 40 फीट मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 4. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर, सहायक नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 58/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूँगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री चैतनलाल पिता शंकर लाल ननोमा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कुशालमगरी के खसरा नं0 232/1 व 234 कुल रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा (28750 वर्गफीट)
3.	क्षेत्रफल	0.26 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	भण्डारण एवं गोदाम हेतु
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) में भूमि भण्डारण एवं गोदाम प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। नगर परिषद द्वारा भूमि के सामने 40 फीट मार्ग प्रस्तावित किया गया है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 28.05.13 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 03.07.13 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. नगर परिषद द्वारा भूमि के सामने 40 फीट मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 4. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 59/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूँगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री मणी लाल पिता सवजी कटारा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कुशालमगरी के खसरा नं0 128, 129 कुल रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा (47045 वर्गफीट)
3.	क्षेत्रफल	0.43 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	भण्डारण एवं गोदाम हेतु
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) में भूमि भण्डारण एवं गोदाम प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि मास्टर प्लान की 150 फीट प्रस्तावित सडक पर स्थित है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 12.07.13 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 09.08.13 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि मास्टर प्लान की 150 फीट प्रस्तावित सडक पर स्थित है। अतः मास्टर प्लान के प्रस्तावित सडक की सुनिश्चितता की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 4. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 60 डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूंगरपुर

	शहर/कस्बे का नाम	डूंगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री सोमा पिता नाथा मीणा श्री गोरधन लाल, श्री जीवण, श्री गोविन्द श्री सोमा व अन्य।
2.	खसरा नं0/भूखण्ड नं0 मय ग्राम कालोनी	राजस्व ग्राम गोकुलपुरा के खसरा नं. 709/126, 710/666/127 व 666/127/3, 706/126, 120, 126, 166/127, 711/666/127 व 666/127/1,
3.	क्षेत्रफल	0.73 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	ट्रक स्टेण्ड, थोक व्यापार
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार रिपोर्ट अप्राप्त है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि डूॅगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) में ट्रक स्टेण्ड, थोक व्यापार प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर से देव सोमनाथ को जाने वाले मुख्य मार्ग के पश्चित दिशा में स्थित है। नगर परिषद द्वारा पहूॅच मार्ग हेतु 40 फीट मार्ग प्रस्तावित किया गया है।
2. आयुक्त, नगर परिषद, डूॅगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में दिनांक 08.10.12 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. आयुक्त, नगर परिषद, डूॅगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 04.09.13 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि ट्रक स्टेण्ड, थोक व्यापार से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के ट्रक स्टेण्ड, थोक व्यापार से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर से देव सोमनाथ को जाने वाले मुख्य मार्ग के पश्चित दिशा में स्थित है। नगर परिषद द्वारा पहूॅच मार्ग हेतु 40 फीट मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः 40 फीट पहुॅच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 61/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूंगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूंगरपुर
1.	आवेदक का नाम	नगर परिषद, डूंगरपुर
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम चक डूंगरपुर की सिवाय चक भूमि खसरा नं. 15 से 17, 19 से 21, 23 से 28, 67 से 75, 81 से 84, 86, 88 से 93 तक, 95 से 98, 103 से 106, 108, 117 से 119, 194, 358 से 365, 367, 369, 370, 372, 374, 376, 378 से 387, 389 से 391, 397, 399, 411, 415, 423, 425, 426, 430, 433, 441 से 449, 451, 452, 619, 659, 660 से 662, 671, 710 से 716, 718 से 723, 557 से 560, 562 से 571, 574 से 578, 733 से 737, 747, 751, 809, 453 से 457, 459 से 466, 472, 473, 478 से 485, 487 से 495, 499 से 501, 599 से 603, 612 से 618, 815/117, 816/755, 819/431, 100, 421, 668, 672, 808, 366, 586, 620, 621, 644 से 647, 649 से 653, 663, 666, 726, 732, 738, 805
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 147.80 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2006 में सिवाय चक दर्शित है मास्टर प्लान–2006 दिनांक 18.04.90 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित समस्त भूमि पातेला तालाब के पास एवं गैप सागर के दक्षिण–पश्चिम में स्थित है। आवेदित भूमि के मध्य में से पातेला ग्रामीण सड़क गुजर रही है। आवेदित भूमि के आस–पास आरक्षित वन क्षेत्र भी स्थित है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा नियमानुसार 15 दिवस की सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 06.01.15 को प्रकाशित करवाई गईं जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर के अनुसार सिवाय चक भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। 4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 22.04.2015 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित समस्त भूमि पातेला तालाब के पास एवं गैप सागर के दक्षिण–पश्चिम में स्थित है। आवेदित भूमि के मध्य में से पातेला ग्रामीण सड़क गुजर रही है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जाना उचित होगा। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। 6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूंगरपुर तथा उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन निम्न अतिरिक्त शर्त के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया :–

- आवेदित भूमियों के मध्य में पेड़–पोधे व हरा–भरा क्षेत्र स्थित है। यद्यपि यह भूमि नगर परिषद को सेट–अपार्ट की जा चुकी है। अतः उक्त भूमि को नगर परिषद द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित रखा जावेगा एवं ग्रीन क्षेत्र/पार्क के रूप में ही विकसित किया जायेगा।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 62/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूँगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री वजा पिता मंगला मीणा, हिरा पिता मंगला मीणा, शंकर पिता मंगला मीणा, हुरज पत्नि वजा मीणा, लक्ष्मी पत्नि हिरा मीणा व सुशीला पत्नि शंकर मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम गोकुलपुरा के खसरा नं0 530/1, 637, 639, 638, 642/2, 643, 616/1, 721/530/1, 640/1, 641, 722/642/1 व 723/642/2 कुल किता 12 कुल रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा
3.	क्षेत्रफल	1.95 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) में भूमि परिधि नियन्त्रण क्षैत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि मास्टर 2006 (Extended-2016) अनुसार 150 फीट रोड पर स्थित है तथा कुछ भाग बाई पास सडक एवं वृक्षारोपण पट्टी 100 फीट से प्रभावित है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक नवजयोति समाचार पत्र में दिनांक 26.11.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 20.04.15 द्वारा प्रकरण को राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखे जाने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः सुनियोजित विकास के दृष्टिगत निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि मास्टर 2006 (Extended-2016) अनुसार 150 फीट रोड पर स्थित है तथा कुछ भाग बाई पास सडक एवं वृक्षारोपण पट्टी 100 फीट से प्रभावित है। अतः 150 फीट सडक के केन्द्र से 75 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। तथा 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010/पार्ट–।। जयपुर दिनांक 25.03.2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 63/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूँगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री पुंजा पिता भेमा मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम गोकुलपुरा के खसरा नं0 620 रकबा 1 बिस्वा, 631 रकबा 10 बिस्वा, 625/1 रकबा 10 बिस्वा, 627/1 रकबा 2 बिस्वा, 328 रकबा 1 बिस्वा, 630/1 रकबा 3 बिस्वा व 632 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा
3.	क्षेत्रफल	0.169 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान 2006 (Extended-2016) में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) में भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी में दर्शित है। मास्टर प्लान–2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि 150 फीट बाई पास एवं वृक्षारोपण पट्टी के उत्तर दिशा में स्थित है। भूमि पर पहूँच मार्ग हेतु 40 फीट सडक हेतु समीपस्थ खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 05.08.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 20.04.15 द्वारा प्रकरण को राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखे जाने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित भूमि 150 फीट बाई पास एवं वृक्षारोपण पट्टी के उत्तर दिशा में स्थित है। भूमि पर पहूँच मार्ग हेतु 40 फीट सडक हेतु समीपस्थ खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावेगी। तथा वृक्षारोपण पट्टी में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010/पार्ट–II जयपुर दिनांक 25.03.2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 64/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/डूँगरपुर

	शहर कस्बे का नाम	डूँगरपुर
1.	आवेदक का नाम	श्री चैतनलाल पिता शंकर लाल ननोमा व श्री लक्ष्मण पिता बदा हडात
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम गोकुलपुरा के खसरा नं0 604 रकबा 2 बिस्वा, 605 रकबा 16 बिस्वा, 606 रकबा 2 बिस्वा, 607 रकबा 18 बिस्वा, 607/1 रकबा 1 बीघा व 613 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा
3.	क्षेत्रफल	0.687 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2006)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि डूँगरपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2006 (Extended-2016) में भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान-2006 (Extended-2016) दिनांक 18.04.1990 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल डूंगरपुर से खेमारू जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 05.08.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 20.04.15 द्वारा प्रकरण को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखे जाने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र एवं वृक्षारोपण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित स्थल डूंगरपुर से खेमारू जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सडक के केन्द्र से 30 फीट में आनेवाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। तथा वृक्षारोपण पट्टी में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010/पार्ट-।। जयपुर दिनांक 25.03.2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 65/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/निम्बाहेडा

	शहर कस्बे का नाम	निम्बाहेडा
1.	आवेदक का नाम	श्री अनिल पिता छीतरमल समदानी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम निम्बाहेडा के खसरा नं0 3704/2441/2130/1150 कुल रकबा 2783.22
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 0.2783 हैक्टैयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	शैक्षणिक (कॉलेज)
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में शैक्षणिक (कॉलेज) प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 09.05.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत भूमि के समीप ही लगते हुए आराजी संख्सा 2442/2130/1105 मी. रकबा 1.13 बीघा एवं आराजी नं. 3770/2441/1105 रकबा 1.01 बीघा संदर्भित तीनों प्रकरणों का एक ही दिनांक को नगर पालिका द्वारा आवेदन किया गया था तथा स्थानीय स्तर की बैठक में भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया गया था एवं राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। तीनों प्रकरणों में से संदर्भित प्रकरण को छोड़कर शेष में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रकरण को पुनः आवेदन पर भू–उपयोग परिवर्तन हेतु निवेदन किया गया था। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रातःकाल समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गई थी, जो दिनांक 18.10.2011 को प्रकाशित हुई। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार नियमानुसार सक्षम स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाकर भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 5. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 20.12.2011 में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 5 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत शैक्षणिक (कॉलेज) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के शैक्षणिक (कॉलेज) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. प्रश्नगत भूमि के समीप ही लगते हुए आराजी संख्सा 2442/2130/1105 मी. रकबा 1.13 बीघा एवं आराजी नं. 3770/2441/1105 रकबा 1.01 बीघा की आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है। अतः उक्त संदर्भित खसरे को उपरोक्त आराजी संख्सा 2442/2130/1105 मी. एवं आराजी नं. 3770/2441/1105 से इंटीग्रेट किया जाना होगा। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 4. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 66/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/निम्बाहेडा

	शहर कस्बे का नाम	निम्बाहेडा
1.	आवेदक का नाम	1. श्रीमति रेखा पत्नि श्री शिवलाल तेली एवं श्रीमति मधु पत्नि श्री किशोर चुगवानी 2. श्रीमति भारती पत्नि श्री कमलेश बनवार, श्रीमति लक्ष्मी पत्नि श्री भैंरू लाल बनवार 3. श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री दिलीप सोनावा, श्रीमति विमला देवी पत्नि सज्जन सिंह नवलखा 4. श्रीमति शालिनी पत्नि श्री मनीष गोयल, श्रीमति मनीषा पत्नि श्री मनोज चपलोत 5. श्रीमति रेखा पत्नि श्री गजेन्द्र नवलखा, श्रीमति रेखा पत्नि श्री शिवलाल तेली एवं श्रीमति मधु पत्नि श्री किशोर चुगवानी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	1. राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2208 मी. 2. राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2636/2208 मी. 3. राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2637/2208 मी. 4. राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2210 मी., 2212 मी. 5. राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2209 मी., 2211 मी.
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 1.22 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	मेला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में मेला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 09.05.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत संदर्भित खसरा नम्बरो की भूमि में से खसरा नं 2212 निम्बाहेडा शहर से अम्बामाता को जाने वाली सड़क पर स्थित है। शेष खसरा नं. की भूमि खसरा नं. 2212 के पीछे स्थित है। उक्त सड़क आगे जाकर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 से जुडती है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 24 मी. प्रस्तावित है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना क्रमशः जय कांठल प्रतापगढ एवं राजस्थान किरण समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 140–141/सी) में दिनांक 25.06.13 को, उदयपुर एक्सप्रेस एवं राजस्थान किरण (पृष्ठ 171–172/सी) दिनांक 26.06.13 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार नियमानुसार सक्षम स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाकर भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 21.01.14 द्वारा सडक का मार्गाधिकार 30 फीट छुडवाये जाने एवं अन्य शर्तो के साथ प्रकरण को राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करते हुये प्रकरण में निर्णय गठित समिति में रखकर उचित निर्णय लिये जाने की राय दी गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि मेला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। प्रकरण में श्रीमति रेखा पत्नि श्री शिवलाल तेली एवं श्रीमति मधु पत्नि श्री किशोर चुगवानी, श्रीमति भारती पत्नि श्री कमलेश बनवार, श्रीमति लक्ष्मी पत्नि श्री भैंरू लाल बनवार, श्रीमति पुष्पा पत्नि श्री दिलीप सोनावा, श्रीमति विमला देवी पत्नि सज्जन सिंह नवलखा, श्रीमति शालिनी पत्नि श्री मनीष गोयल, श्रीमति मनीषा पत्नि श्री मनोज चपलोत, श्रीमति रेखा पत्नि श्री गजेन्द्र नवलखा, श्रीमति रेखा पत्नि श्री शिवलाल तेली एवं श्रीमति मधु पत्नि श्री किशोर चुगवानी कुल 5 खातेदारों द्वारा लगभग 1500 वर्ग मी. भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु पृथक–पृथक आवेदन किया गया हैं। आवेदित खसरा नम्बर 2212 ही मास्टर प्लान की प्रस्तावित 24 मी. सड़क पर स्थित है। आवास मानव की भौतिक आवश्यक है तथा नियोजन की दृष्टि से भमियों का नियमन किये जाने की बजाय सभी का समग्र रूप से नियमन किय जाना उचित होगा। अतः उपरोक्त आवेदकों की समस्त भूमि का समग्र क्षेत्रफल 1.22 है0 का

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

	इकजाई ले–आउट प्लान का अनुमोदन सुनियोजित विकास की दृष्टि से प्रस्तावित कराया जाना उचित होगा। अतः नियोजन की दृष्टि से सुनियोजित विकास हेतु एवं उक्त प्रकार से आवेदन को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के मेला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. प्रश्नगत संदर्भित खसरा नम्बरो की भूमि में से खसरा नं 2212 निम्बाहेडा शहर से अम्बामाता को जाने वाली सड़क पर स्थित है। शेष खसरा नं. की भूमि खसरा नं. 2212 के पीछे स्थित है। उक्त सड़क आगे जाकर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 से जुडती है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 24 मी. प्रस्तावित है। अतः सड़क के केन्द्र से 12 मी. में आने वाली भूमि का प्रार्थीयों द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। 2. प्रार्थीयों द्वारा समस्त 5 खसरों की भूमियों, क्षेत्रफल 1.22 है0 है। अतः सुनियोजित विकास की दृष्टि से समस्त 1.22 है0 भूमि का आवासीय योजना का इंटीग्रेटेड ले–आउट प्लान का अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा। 4. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 8. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। 9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान में मैला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा क्षेत्र में आरक्षित है। अतः नगर पालिका एवं जिला प्रशासन से मैला ग्राउण्ड एवं पर्यटन सुविधा हेतु नगर में वर्तमान भूमि की उपलब्धता तथा भविष्य की आवश्यकता के मध्यनजर आवश्यक भूमि की उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट ली जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 67/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/निम्बाहेडा

	शहर कस्बे का नाम	निम्बाहेडा
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति उषा पत्नि श्री गोपाल जी नागदा, श्रीमति पिस्ता देवी पत्नि श्री सोहन लाल जैन, श्रीमति हर्षा पुत्री प्रकाश सामोता, श्रीमति शिल्पा पत्नि प्रशान्त, श्रीमति लाडबाई पत्नि श्री हरिसिंह बोडाणा, श्रीमति लीला देवी पत्नि श्री सोहन लाल जैन, श्री आनन्द पिता श्री किशोर मिश्रा, श्री शर्मिला देवी पत्नि श्री राजीव बाबेल, श्री मनोज पिता श्री हिम्मत सिंह चपलोत, श्रीमति विमला देवी पत्नि श्री सज्जन सिंह नवलखा कुल 10 आवेदक
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम ईशाकपुरा के खसरा नं0 1492 मीन रकबा 0.12 है0, 2959/1492 रकबा 0.12 है0, 2960/1492 रकबा 0.12 है0, 2961/1492 रकबा 0.12 है0, 2962/1492 रकबा 0.12 है0, 2963/1492 रकबा 0.12 है0, 2964/1492 रकबा 0.12 है0, 2965/1492 रकबा 0.11 है0, 2966/1492 रकबा 0.12 है0, 2967/1492 रकबा 0.12 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 1. 19 हैक्टेयर (119000 वर्गमीटर)
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 1.19 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	प्रोफेशनल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में प्रोफेशनल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर भू–उपयोग में आरक्षित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 09.05.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत भूमि नीमत से उदयपुर को जाने वाले बाई–पास के पूर्व दिशा में लगभग 135 फीट की दूरी पर राजस्व रास्ते पर स्थित हैं। उक्त राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्त समस्त खातेदारों द्वारा समस्त खसरा नम्बरों की भूमि पर इकजाई आवासीय योजना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार नियमानुसार सक्षम स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाकर भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 6. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 03.12.13 कतिपय शर्तो के साथ प्रकरण को राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करते हुये प्रकरण में निर्णय गठित समिति में रखकर उचित निर्णय लिये जाने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि प्रोफेशनल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। प्रकरण में श्रीमति उषा पत्नि श्री गोपाल जी नागदा, श्रीमति पिस्ता देवी पत्नि श्री सोहन लाल जैन, श्रीमति हर्षा पुत्री प्रकाश सामोता, श्रीमति शिल्पा पत्नि प्रशान्त, श्रीमति लाडबाई पत्नि श्री हरिसिंह बोडाणा, श्रीमति लीला देवी पत्नि श्री सोहन लाल जैन, श्री आनन्द पिता श्री किशोर मिश्रा, श्री शर्मिला देवी पत्नि श्री राजीव बाबेल, श्री मनोज पिता श्री हिम्मत सिंह चपलोत, श्रीमति विमला देवी पत्नि श्री सज्जन सिंह नवलखा कुल 10 आवेदको द्वारा छोटी–छोटी भूमियों के टुकड़ों पर एक इकजाई आवासीय योजना हेतु आवेदन किया गया है। नियोजन की दृष्टि से सुनियोजित विकास हेतु एवं उक्त प्रकार से आवेदन को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के प्रोफेशनल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. प्रश्नगत भूमि नीमत से उदयपुर को जाने वाले बाई–पास के पूर्व दिशा में लगभग 135 फीट की दूरी पर राजस्व रास्ते पर स्थित हैं। उक्त राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। अतः सड़क के केन्द्र से 30 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थीयों द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।	

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

	3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 68/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/निम्बाहेडा

	शहर कस्बे का नाम	निम्बाहेडा
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति जया पत्नि श्री जय सिंघवी, श्रीमती कल्पना सिंघवी पत्नि श्री अजय सिंघवी, श्री अजय सिंघवी पिता श्री विजय सिंघवी, श्री किरण पत्नि श्री राकेश चौरडिया, श्री राकेश पिता हस्तीमल चौरडिया, श्री विरेश पिता सागरमल चपलोत, श्री हस्तीमल पिता बाबूलाल चौरडिया, श्रीमति सुशीला पत्नि श्री विनोद टांक, श्रीमति अल्पना पत्नि श्री विरेश चपलोक, श्री अजय सिंघवी पिता श्री विजय सिंघवी, श्रीमती प्रियंका जेतावत पत्नि श्री विमल जेतावत, श्रीमति अनिता पत्नि श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमति कन्चन बाई पत्नि श्री अमृतराम शर्मा, कल्पना सिंघवी पत्नि श्री अजयजी सिंघवी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम ईशाकपुरा के खसरा नं0 608/110 व 112 रकबा 0.13 है0, 609/110 व 112 रकबा 0.13 है0, 610/110 व 112 रकबा 0.12 है0, 611/110 व 112 रकबा 0.12 है0, 612/110 व 112 रकबा 0.13 है0, 613/110 व 112 रकबा 0.12 है0, 614/110 व 112 रकबा 0.13 है0, 615/110 व 112 रकबा 0.13 है0, 616/110 व 112 रकबा 0.13 है0, 617/110 व 112 रकबा 0.13 है0, 618/110 व 112 रकबा 0.13 है0, 619/110 व 112 रकबा 0.12 है0, 620/110 व 112 रकबा 0.13 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर (164000 वर्गमीटर)
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 1.64 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	हॉस्पीटल, बाग, खुला स्थल एवं खेल मैदान, स्टेडियम
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में हॉस्पीटल, बाग, खुला स्थल एवं खेल मैदान, स्टेडियम प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 09.05.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। संदर्भित खसरा नम्बरों की 1.64 है0 भूमि निम्बाहेडा से चित्तोड़गढ़ रोड के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित 24 मी. सड़क के दक्षिण में स्थित है। आवेदित समस्त खसरा नम्बरों की भूमियों के दक्षिण में से राजस्व रास्ता गुजर रहा है। प्रार्थीयों द्वारा पूर्व में पृथक–पृथक आवेदन किया गया था। अतः कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा पृथक–पृथक भूमियों के सामने 30 फीट का मार्ग प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में सभी 13 भू–धारको द्वारा आवासीय योजना हेतु इकजाई आवेदन मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार नियमानुसार सक्षम स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाकर भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 7. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 03.12.13 कतिपय शर्तो के साथ प्रकरण को राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करते हुये प्रकरण में निर्णय गठित समिति में रखकर उचित निर्णय लिये जाने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का हॉस्पीटल, बाग, खुला स्थल एवं खेल मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। प्रकरण में श्रीमति जया पत्नि श्री जय सिंघवी, श्रीमती कल्पना सिंघवी पत्नि श्री अजय सिंघवी, श्री अजय सिंघवी पिता श्री विजय सिंघवी, श्री किरण पत्नि श्री राकेश चौरडिया, श्री राकेश पिता हस्तीमल चौरडिया, श्री विरेश पिता सागरमल चपलोत, श्री हस्तीमल पिता बाबूलाल चौरडिया, श्रीमति सुशीला पत्नि श्री विनोद टांक, श्रीमति अल्पना पत्नि श्री विरेश चपलोक, श्री अजय सिंघवी पिता श्री विजय सिंघवी, श्रीमती प्रियंका जेतावत पत्नि श्री विमल जेतावत, श्रीमति अनिता पत्नि श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमति कन्चन बाई पत्नि श्री अमृतराम शर्मा, कल्पना सिंघवी पत्नि श्री अजयजी सिंघवी कुल 13 आवेदको द्वारा छोटी–छोटी भूमियों के टुकड़ों पर एक इकजाई आवासीय योजना हेतु आवेदन किया गया है। नियोजन की दृष्टि से सुनियोजित विकास हेतु एवं उक्त प्रकार से आवेदन को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के हॉस्पीटल, बाग, खुला स्थल एवं खेल मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–	

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

	1. संदर्भित खसरा नम्बरों की 1.64 है0 भूमि निम्बाहेडा से चित्तोड़गढ़ रोड के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित 24 मी. सड़क के दक्षिण में स्थित है। आवेदित समस्त खसरा नम्बरों की भूमियों के दक्षिण में से राजस्व रास्ता गुजर रहा है। प्रार्थीयों द्वारा पूर्व में पृथक–पृथक आवेदन किया गया था। अतः कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा पृथक–पृथक भूमियों के सामने 30 फीट का मार्ग प्रस्तावित किया गया है। चूंकि आवेदको द्वारा समग्र रूप से 1.64 है0 भूमि पर आवासीय योजना हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाना होगा। अतः सड़क के केन्द्र से 30 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थीयों द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 69/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/निम्बाहेडा

	शहर कस्बे का नाम	निम्बाहेडा
1.	आवेदक का नाम	श्रीमति भावना पत्नि श्री महेन्द्र जी तलेसरा, श्री मनोज पिता श्री हिम्मतसिंह जी चपलोत, श्री किशनलाल पिता श्री नानालाल जी अहीर, श्रीमती लता पत्नि श्री राजकुमार जी राजोरा, श्रीमती चान्दीबाई पत्नी श्री कालुलाल जी तेली, श्रीमती गायत्रीदेवी पत्नि श्री सुरेश जी अग्रवाल, श्री राजकुमार पिता श्री शंकरलाल जी राजोरा, श्री निरेश पिता श्री लालचन्द जी धींग, श्रीमती शांतिदेवी पत्नि श्री गजेन्द्र कुमार, श्रीमती चन्द्रकला पत्नि श्री बाबुलाल जी लौहार, श्रीमती रितिका पत्नी श्री अमित जी कीमती, श्री अमित पिता श्री नरेन्द्र जी कीमती, श्री विक्रम पिता श्री प्रकाशचन्द्र जी जैन, श्री विकास पिता श्री महेन्द्र जी तलेसरा, श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री राजीव बाबेल, श्री आकाश पिता श्री पारसमल जी पारख, श्रीमती लीलादेवी पुत्री श्री सोहनलाल जी जैन, सुश्री हर्षा पुत्री प्रकाश जी जैन, श्री देवेन्द्र पिता श्री सागरमल जी, श्रीमती मनीषा पत्नी श्री मनोज जी चपलोत, श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री सज्जनसिंह जी नवलखा, श्रीमती शिल्पा पत्नी श्री प्रशान्त जी बाबेल, श्री गौतम पिता श्री मदनलाल जी विराणी, श्री पुलकीत पिता श्री प्रकाश जी लोढ़ा, श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री रतनलाल जी कुम्हार, श्रीमती उमा पत्नी श्री ललीत जी कोठारी, सुश्री निधि पुत्री श्री कमल जी रोहेला, श्री प्रशान्त पिता श्री चन्द्रसिंह जी बाबेल, श्री मयंक पिता श्री चन्द्रसिंह जी बाबेल, श्रीमती रेणु पुत्री श्री चन्द्रसिंह जी बाबेल, श्री प्रकाश पिता श्री मन्नालाल जी अहीर कुल 30 आवेदक
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम ईशाकपुरा के खसरा नं0 193 रकबा 0.01, 194 मीन रकबा 0.13 है0, 622/194(0.12), 623/194(0.12), 624/194(0.12), 625/194(0.12), 626/194(0.12), 627/194(0.12), 628/194(0.12), 629/194(0.12), 630/194(0.12), 631/194(0.12), 632/194(0.12), 633/194(0.13), 634/194(0.13), 635/194(0.12), 636/194 (0.12) 637/194 (0.12), 638/194(0.12), 639/194(0.12), 640/194(0.12), 641/194 (0.12), 642/194 (0.12), 643/194(0.12), 644/194(0.13), 645/194(0.12), 646/194(0.12), 647/194(0.12), 648/194(0.12), 649/194(0.12), 650/194(0.13), 651/192 व 652/194(0.26) कुल किता 31 कुल रकबा 3.92 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 3.92 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	हॉस्पीटल, पार्क, ओपन स्पेश
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :-**

1. प्रश्नगत भूमि निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में हॉस्पीटल, पार्क, ओपन स्पेश प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 09.05.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत भूमि निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में हॉस्पीटल हॉस्पीटल, पार्क, ओपन स्पेश प्रयोजनार्थ दर्शित है। संदर्भित खसरा नम्बरों की 3.92 है0 भूमि निम्बाहेडा से चित्तोड़गढ़ रोड के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित 24 मी. सड़क के दक्षिण में स्थित है। आवेदित समस्त खसरा नम्बरों की भूमियों के उत्तर दिशा में से राजस्व रास्ता गुजर रहा है। प्रार्थीयों द्वारा पूर्व में पृथक-पृथक आवेदन किया गया था। अतः कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा पृथक-पृथक भूमियों के सामने 30 फीट का मार्ग प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में सभी 30 भू-धारको द्वारा आवासीय योजना हेतु इकजाई आवेदन मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार नियमानुसार सक्षम स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाकर भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है तथा प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किया जाता है तो भी अस्पताल हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 03.12.13 कतिपय शर्तो के साथ प्रकरण को राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करते हुये प्रकरण में निर्णय गठित समिति में रखकर उचित निर्णय लिये जाने की राय दी गई है।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का हॉस्पीटल, बाग, खुला स्थल एवं खेल मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। प्रकरण में श्रीमति भावना पत्नि श्री महेन्द्र जी तलेसरा, श्री मनोज पिता श्री हिम्मतसिंह जी चपलोत, श्री किशनलाल पिता श्री नानालाल जी अहीर, श्रीमती लता पत्नि श्री राजकुमार जी राजोरा, श्रीमती चान्दीबाई पत्नी श्री कालुलाल जी तेली, श्रीमती गायत्रीदेवी पत्नि श्री सुरेश जी अग्रवाल, श्री राजकुमार पिता श्री शंकरलाल जी राजोरा, श्री निरेश पिता श्री लालचन्द जी धींग, श्रीमती शांतिदेवी पत्नि श्री गजेन्द्र कुमार, श्रीमती चन्द्रकला पत्नि श्री बाबुलाल जी लौहार, श्रीमती रितिका पत्नी श्री अमित जी कीमती, श्री अमित पिता श्री नरेन्द्र जी कीमती, श्री विक्रम पिता श्री प्रकाशचन्द्र जी जैन, श्री विकास पिता श्री महेन्द्र जी तलेसरा, श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री राजीव बाबेल, श्री आकाश पिता श्री पारसमल जी पारख, श्रीमती लीलादेवी पुत्री श्री सोहनलाल जी जैन, सुश्री हर्षा पुत्री प्रकाश जी जैन, श्री देवेन्द्र पिता श्री सागरमल जी, श्रीमती मनीषा पत्नी श्री मनोज जी चपलोत, श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री सज्जनसिंह जी नवलखा, श्रीमती शिल्पा पत्नी श्री प्रशान्त जी बाबेल, श्री गौतम पिता श्री मदनलाल जी विराणी, श्री पुलकीत पिता श्री प्रकाश जी लोढ़ा, श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री रतनलाल जी कुम्हार, श्रीमती उमा पत्नी श्री ललीत जी कोठारी, सुश्री निधि पुत्री श्री कमल जी रोहेला, श्री प्रशान्त पिता श्री चन्द्रसिंह जी बाबेल, श्री मयंक पिता श्री चन्द्रसिंह जी बाबेल, श्रीमती रेणु पुत्री श्री चन्द्रसिंह जी बाबेल, श्री प्रकाश पिता श्री मन्नालाल जी अहीरी कुल 30 आवेदको द्वारा छोटी–छोटी भूमियों के टुकड़ों पर इकजाई आवासीय योजना हेतु आवेदन किया गया है। नियोजन की दृष्टि से सुनियोजित विकास हेतु एवं उक्त प्रकार से आवेदन को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के हॉस्पीटल, बाग, खुला स्थल एवं खेल मैदान, स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. संदर्भित खसरा नम्बरों की 3.92 है0 भूमि निम्बाहेडा से चित्तोड़गढ़ रोड के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित 24 मी. सड़क के दक्षिण में स्थित है। आवेदित समस्त खसरा नम्बरों की भूमियों के दक्षिण में से राजस्व रास्ता गुजर रहा है। प्रार्थीयों द्वारा पूर्व में पृथक–पृथक आवेदन किया गया था। अतः कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा पृथक–पृथक भूमियों के सामने 30 फीट का मार्ग प्रस्तावित किया गया है। चूंकि आवेदको द्वारा समग्र रूप से 3.92 है0 भूमि पर आवासीय योजना हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाना होगा। अतः सड़क के केन्द्र से 30 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थीयों द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा 3. योजना में अर्फोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी–2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स रखे जाने होंगे। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि आवासहीनों के लिए नगर पालिका को निशुल्क समर्पित की जावेगी। 4. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 8. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। 9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 70/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/निम्बाहेडा

	शहर कस्बे का नाम	निम्बाहेडा	
1.	आवेदक का नाम	1.	श्रीमति ममता शारदा पत्नि श्री ललित प्रकाश शारदा
		2.	श्री संजय शारदा पिता श्री शिव प्रकाश शारदा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	1.	राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 1475 मी. 6900 वर्गमीटर
		2.	राजस्व ग्राम निम्बाहेडा की आराजी नं0 2590/1475 मी. 7000 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 1.39 हैक्टेयर	
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	सरकारी क्षेत्र प्रयोजनार्थ	
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	औद्योगिक प्रयोजनार्थ (लघु उद्योग फूड प्रोसेसिंग)	
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा के अनुसार वैध है।	

7. प्रकरण के तथ्य :–

1. प्रश्नगत भूमि निम्बाहेडा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में सरकारी क्षैत्र प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2031 दिनांक 09.05.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग – 79 के पश्चिम दिशा में लगभग 150 मी. की दूरी पर आवेदित स्थल के दक्षिण में गुजर रहे राजस्व रास्ते पर स्थित है, जिसे नगर पालिका द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की राय अनुसार 60 फीट प्रस्तावित किया गया है तथा भूमि में से 132 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना क्रमशः जय कांठल प्रतापगढ एवं राजस्थान किरण समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 13–14/सी) एवं (पृष्ठ 13/सी एवं 16/सी) में क्रमशः दिनांक 29.01.14 एवं 30.01.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार नियमानुसार सक्षम स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाकर भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 25.02.14 द्वारा सडक का मार्गाधिकार 60 फीट छुडवाये जाने एवं अन्य शर्तो के साथ प्रकरण को राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करते हुये प्रकरण में निर्णय गठित समिति में रखकर उचित निर्णय लिये जाने की राय दी गई है।

8. प्रस्ताव :–

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का सरकारी से औद्योगिक प्रयोजनार्थ (लघु उद्योग फूड प्रोसेसिंग) भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।
अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के सरकारी भू–उपयोग से औद्योगिक प्रयोजनार्थ (लघु उद्योग फूड प्रोसेसिंग) भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग – 79 के पश्चिम दिशा में लगभग 150 मी. की दूरी पर आवेदित स्थल के दक्षिण में गुजर रहे राजस्व रास्ते पर स्थित है, जिसे नगर पालिका द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की राय अनुसार 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। अतः सड़क के केन्द्र से 30 फीट में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।
2. उद्योग स्थापित किये जाने से पूर्व उद्योग विभाग व राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।
3. भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।
4. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
5. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
6. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
7. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा संख्या 71 डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड /निम्बाहेडा

1	**विषय** निगरानी/अपील प्रकरण द्वारा श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री पृथ्वीराज एवं श्री फूला देवी उर्फ सीता देवी पत्नी जगदीश चन्द निम्बाहेडा के खसरा नं 127 मे रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा विरूद्ध निर्णय नगर पालिका निम्बाहेडा दिनांक 29.11.2011।
2	प्रकरण के तथ्यः– 1. श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री पृथ्वीराज एवं श्री फूला देवी उर्फ सीता देवी पत्नी जगदीश चन्द निम्बाहेडा के खसरा नं 127 मे रकबा 2 बीघा के भू उपयोग परिवर्तन बाबत स्थानीय भू उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णय 29.11.2011 के विरूद्ध निगरानी राजस्थान नगर पालिका भू उपयोग परिवर्तन नियम 2000 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी। 2. आवेदक द्वारा 22.07.2008 को खसरा नं 127 मे रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू उपयोग परिवर्तन पत्रावली नगर पालिका निम्बाहेडा को प्रस्तुत की गई थी। 3. नगर पालिका निम्बाहेडा के आदेश दिनांक 29.11.2011 के द्वारा उल्लेखित भूमि का ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए अनिवार्य अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण भू उपयोग परिवर्तन आवेदन निरस्त कर दिया गया। 4. अपीलकर्ता द्वारा अपील मे अवगत करवाया गया है कि खसरा नं 127 का मूल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा था जिसमे से 8 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि व 5 बिस्वा रूपांतरित भूमि का नगर पालिका द्वारा अवाप्त करने की अनुशंषा की गई थी जिस पर स्थानीय निकाय विभाग के पत्र दिनांक 21.02.2006 द्वारा नगर पालिका से जानकारी चाही गई थी कि खसरा नं 127 की शेष भूमि छोडा जाना क्या उपयुक्त है? जिस पर नगर पालिका निम्बाहेडा द्वारा पत्र दिनांक 09.03.2006 द्वारा सूचित किया गया कि खसरा नं 127 की शेष छोडी गई भूमि जे. के. सीमेन्ट वर्क्स के निजी उपयोग के लिए छोडी गई है एवं इसे जे.के. सीमेन्ट वर्क्स द्वारा अवाप्त की जायेगी। 5. अतः अपीलकर्ता द्वारा अवगत करवाया गया है कि विपक्षीगण नगर पालिका द्वारा भूमि अवाप्ति की प्रकिया मे विचाराधीन होने के आधार पर प्रकरण के निस्तारण मे भूल की है जबकि भूमि अवाप्त करने के लिए अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कोई नोटीफिकेशन जारी नही हुआ है और न ही अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन है। 6. आयुक्त, नगर पालिका निम्बाहेडा द्वारा निगरानी याचिका के जवाब मे पक्ष प्रस्तुत किया गया कि निम्बाहेडा कस्बे की आईडीएसएमटी परियोजना की सिटी मोनिटरिंग समिति की बैठक दिनांक 23.06.2010 मे प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा खसरा नं 127 की 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि अनिवार्य अवाप्ति प्रकिया से अवाप्त की जाने का निर्णय लिया गया है। जिस पर पालिका द्वारा अवाप्ति हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए पत्र दिनांक 13.01.2011 से निवेदन किया गया एवं श्रीमान जिला कलक्टर चित्तौड़गढ द्वारा पत्र दिनांक 28.12.2011 से प्रस्ताव निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को प्रेषित किये गये है। उक्त अवाप्ति निजी कम्पनी के लिए नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु नगर पालिका निम्बाहेडा द्वारा नियमों एवं भू अवाप्ति के प्रावधानो अनुसार की जा रही है। 7. आवेदनकर्ता द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 07.11.2013 द्वारा इस निगरानी याचिका के निर्णय अनुसार उक्त निगरानी स्थानीय भू उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। स्थानीय भू उपयोग परिवर्तन समिति मे लिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति मे होने का प्रावधान है। अतः अपील सुनने का श्रवणाधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को नही है। अतः उक्त निर्णय के साथ पत्रावली उनके द्वारा राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित की गई है। 8. प्रकरण को राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 145 वीं बैठक दिनांक 12.08.2014 में विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं का अवलोकनीन किया गया। बैठक में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिम्बाहेडा द्वारा अवगत कराया गया कि खसरा नं0 127 की 2 बीघा 5 बिस्वास भूमि की अवाप्ति हेतु अधिसूचना का प्रस्ताव जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा स्थानीय निकाय विभाग को भिजवाया हुआ है। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, निम्बाहेडा को अवाप्ति हेतु की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति की जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु तथा अपीलकर्ता को भी आगामी बैठक में सुनवाई हेतु आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय के क्रम में अपीलार्थी को आगामी बैठक में उपस्थिति होने हेतु पत्र क्रमांक 150–151 दिनांक 23.12.14 द्वारा नगर पालिका, निम्बाहेडा को सूचित किया गया। 9. राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 1 वीं बैठक दिनांक 29.12.2014 द्वारा प्रकरण की पत्रावली, पूर्व एजेण्डा के बिन्दुओं, आयुक्त, नगर परिषद, डूँगरपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, निम्बाहेडा को अवाप्ति हेतु की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति की जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु तथा अपीलकर्ता को भी आगामी बैठक में सुनवाई हेतु आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु अपीलकर्ता एवं अधिशाषी अधिकारी बैठक में उपस्थिति नही हुये। अतः अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, निम्बाहेडा को अवाप्ति हेतु की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति की जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु तथा अपीलकर्ता को भी आगामी बैठक में सुनवाई हेतु आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सूचनाओं को प्राप्त करने के पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
3	उपरोक्त तथ्य, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर व अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, निम्बाहेडा से प्राप्त रिपोर्ट तथा प्रकरण की पत्रावली समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा निगरानी/अपील का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण को Drop किये जाने का निर्णय लिया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 72/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/भीण्डर

	शहर कस्बे का नाम	भीण्डर
1.	आवेदक का नाम	श्री लालचन्द पिता परसराम अहीर
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम भीण्डर के खसरा नं0 2693, 2694, 2697, 2700, 2704/2/1, 26../2 रकबा 15 बिस्वा, 2701, 2702 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरानं0 2702, 2703 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा
3.	क्षेत्रफल	0.63 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि भीण्डर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2033 दिनांक 23.04.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि भीण्डर से कानोड जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। उक्त मुख्य मार्ग का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। उक्त भूमि के आस–पास नगर पालिका द्वारा आवासीय, पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, मकानात आदि निर्मित है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 18/सी) में दिनांक 19.10.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार मौके उक्त भूमि के आस–पास नगर पालिका द्वारा आवासीय, पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, मकानात आदि निर्मित है। अतः भविष्य में आवासीय विस्तार को मध्यनजर रखते आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 06.02.15 द्वारा प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की बेठक में रखा जाकर उचित निर्णय लिये जाने की राय दी गई है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित भूमि भीण्डर से कानोड जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। उक्त मुख्य मार्ग का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट प्रस्तावित है। अतः सडक के केन्द्र से 50 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क नगर पालिका के हक में सडक हेतु समर्पित की जावेगा।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 73/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/भीण्डर

	शहर कस्बे का नाम	भीण्डर
1.	आवेदक का नाम	श्री भंवर लाल पिता परसराम सुथार, श्री यशवन्त पिता श्री भंवर लाल एवं श्री लाल सिंह पिता वगत सिंह दायमा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम भीण्डर के खसरा नं0 2677, 2670, 2684/1, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675 शा0नं0 2676 रकबा 05–04–10 बीघा
3.	क्षेत्रफल	1.12 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर के अनुसार वैध है।

7\. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि भीण्डर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2033 दिनांक 23.04.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल भीण्डर से कानोड जाने वाली मुख्य सडक के पश्चिम में मौके पद 25 फीट सम्पर्क सडक पर स्थित है। भूमि का 1 हिस्सा मास्टर प्लान की 150 फीट चौडी सडक के समीप है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक नवज्योति समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 17/सी) में दिनांक 31.07.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार भविष्य में आवासीय विस्तार को मध्यनजर रखते आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 06.01.15 प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की बेठक में रखा जाकर उचित निर्णय लिये जाने की राय दी गई है।

8\. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः सुनियोजित विकास के दृष्टिगत निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित स्थल भीण्डर से कानोड जाने वाली मुख्य सडक के पश्चिम में मौके पद 25 फीट सम्पर्क सडक पर स्थित है। भूमि का 1 हिस्सा मास्टर प्लान की 150 फीट चौडी सडक के समीप है। अतः 150 फीट सडक के केन्द्र से 75 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। तथा सम्पर्क सडक 25 फीट की चौडाई 40 फीट की सुनिश्चितता की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9\. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भीण्डर, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 74/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/बेगूं

	शहर कस्बे का नाम	बेगूं
1.	आवेदक का नाम	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री नाहर सिंह
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पीपलखेडा की आराजी संख्या 492 मीन रकबा 0.0600 हैक्टर आ.न. 4925/1 रकबा 0.1800 हैक्टर, आराजी नं. 493 रकबा 0.2700 हैक्टर, आराजी नं. 494/1 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.9200 हैक्टर (9200 वर्गमीटर)
3.	क्षेत्रफल	0.92 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2033)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण पट्टी
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	शैक्षणिक विद्यालय संस्थानिक प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूँ के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि बेगूं नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2033 में परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान-2033 दिनांक 10.01.2010 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल बेगूं से काटून्दा मोड को जाने वाले मुख्य मार्ग के पश्चिम दिशा में अन्दर की तरफ स्थित स्थित है। तथा काटून्दा मुख्य मार्ग एवं आवेदित भूमि के बीच में रूपान्तरित भूमि स्थित है। उक्त आवेदित भूमि को लगभग 27 फीट चौडा पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। जिसे नगर पालिका द्वारा 60 फीट दर्शाया जाकर प्रस्तावित किया गया है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूं द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक नवज्योति एवं जननायक समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 9/सी एवं 10/सी) में दिनांक 07.06.14 व 30.07.14 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूँ द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार मौके पर स्कूल निर्माणाधीन है। विकास को देखते हुए शैक्षणिक भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर द्वारा आवेदित प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की बेठक में रखा जाकर उचित निर्णय लिये जाने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित स्थल बेगूं से काटून्दा मोड को जाने वाले मुख्य मार्ग के पश्चिम दिशा में अन्दर की तरफ स्थित है। तथा उक्त आवेदित स्थल को लगभग 27 फीट चौडा पहुंच मार्ग काटुन्दा सड़क से उपलब्ध होता है। जिसे नगर पालिका द्वारा 60 फीट दर्शाया जाकर प्रस्तावित किया गया है। अतः 60 फीट सडक की सुनिश्चिता स्थानीय स्तर पर की जानी होगी। काटुन्दा सड़क पर दोनो तरफ वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है। अतः वृक्षारोपण पट्टी में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010/पार्ट-।। जयपुर दिनांक 25.03.2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 2. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 6. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूँ, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 75/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/बेगूं

	शहर कस्बे का नाम	बेगूं
1.	आवेदक का नाम	श्री बंशी लाल पिता श्री हीरालाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पीपलखेडा की आराजी संख्या 650/394, 753/395 रकबा 1.70 हेक्टयार
3.	क्षेत्रफल	1.70 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2033)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूँ के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :–**

1. प्रश्नगत भूमि बेगूं नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2033 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2033 दिनांक 10.01.2010 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत भूमि के समीप ही आवेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 755/393, 759/393, 754/394 का राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.12.2014 से परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाने का निर्णय लिया जा चुका है। उपरोक्त लिये गये निर्णय में पूर्व में आवेदक द्वारा अलग–अलग दो आवासीय योजनाओं हेतु भू–उपयोग परिवर्तन कराया गया था। समिति द्वारा सुनियोजित विकास हेतु पूर्व के दो आवेदनों का इंटीग्रेटेड विकास की अवधारणा पर इंटीग्रेटेड योजना विकसित किये जाने की शर्त लगाई गई थी। अब आवेदक द्वारा उसी क्रम में 1.70 हैक्टेयर की आवासीय योजना हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूं द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक भाष्कर एवं राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र (पृष्ठ सं. 22–23/सी) में दिनांक 10.02.2015 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूँ द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार मौके पर भूमि रिक्त है। तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 10.04.15 द्वारा परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशषा की है।

8. **प्रस्ताव :–**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। पूर्व में राजस्व ग्राम पीपलखेडा की आराजी संख्या 799/732, 800/733, 803/732, 804/733 कुल किता 4 कुल रकबा 0.99 हैक्टर (9900 वर्गमीटर) राजस्व ग्राम पीपलखेडा की आराजी संख्या 765/393, 759/393, 754/394 कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टर (16700 वर्गमीटर) की आवासीय योजनाओं हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में परिधि नियंत्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट की अवधारणा पर किया जा चुका है एंव वर्तमान में आवेदित प्रकरण भी उपरोक्त योजनाओं से लगते हुये प्रस्तुत किया गया है।

अतः सुनियोजित विकास के दृष्टिगत निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :–

1. आवेदित स्थल पर तृतीय चरण में आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान भी राजस्व ग्राम पीपलखेडा की आराजी संख्या 799/732, 800/733, 803/732, 804/733 कुल किता 4 कुल रकबा 0.99 हैक्टर (9900 वर्गमीटर) राजस्व ग्राम पीपलखेडा की आराजी संख्या 765/393, 759/393, 754/394 कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टर (16700 वर्गमीटर) की आवासीय योजनाओं के साथ इन्टीग्रेट करते हुये किया जावेगा।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी–2010

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

	अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूँ, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 76/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/नाथद्वारा

	शहर कस्बे का नाम	नाथद्वारा
1.	आवेदक का नाम	मै0 विनायक डवलपर्स जरिये श्रीमति रतन देवी माहेश्वरी पत्नी श्री कृष्ण गोपाल माहेश्वरी
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम नाथद्वारा के खसरा नं0 1283, 3399/1282, 3400/1284 एवं 3406/1286
3.	क्षेत्रफल	0.139 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यवसायिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शित है मास्टर प्लान–2031 दिनांक 22.11.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल नगरीयकृत क्षैत्र के अन्तर्गत नगर पालिका से स्वीकृत साईट प्लान अनुसार विद्यमान 60 फीट चौडी सडक पर स्थित है। आवेदित स्थल की लीज डीड दिनांक 28.11.11 को आवासीय प्रयोजनार्थ जारी की जा चुकी है। 2. आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति समाचार पत्र में जारी करने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है, परन्तु सार्वजनकि आपत्ति जारी कराये जाने बाबत प्रार्थी को पत्र दिनांक 08.01.15 द्वारा सूचित किया गया है। 3. आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। 4. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 04.03.15 द्वारा प्रकरण में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की सहमति दी है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 28.10.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित स्थल नगरीयकृत क्षैत्र के अन्तर्गत नगर पालिका से स्वीकृत साईट प्लान अनुसार विद्यमान 60 फीट चौडी सडक पर स्थित है। आवेदित स्थल की लीज डीड दिनांक 28.11.11 को आवासीय प्रयोजनार्थ जारी की जा चुकी है। अतः 60 फीट सडक के केन्द्र से 30 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। 2. भूखण्ड पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 6. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 77/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/आमेट

	शहर कस्बे का नाम	आमेट
1.	आवेदक का नाम	श्री शब्बीर पिता मंसूर अली बोहरा, श्रीमति शमीम पत्नि शब्बीर हुसैन बोहरा, राजेन्द्र पिता भैंरू लाल लौहार, श्रीमति अनिता पत्नि राजेन्द्र लौहार, राधेश्याम पिता फुलचन्द्र लौहार, शब्बीर पिता इब्राहिम बोहरा, हिम्मत पिता सीताराम साल्वी एवं श्री मोती लाल पिता चुन्नी लाल खटीक
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम आमेट के खसरा नं0 5958/4486, 5955/4485, 5956/4485, 5957/4486, 5954/4485, 5637/4501, 5638/4502, 4501, 4502, 5946/4502, 5636/4500, 4500 मी. 4485 मी. 4486 कुल रकबा 1.4000 हैक्टर
3.	क्षेत्रफल	1.4 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :-**

1. प्रश्नगत भूमि आमेट नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियंन्त्रण क्षैत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 13.04.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल आमेट से गंगापुर जाने वाले 100 फीट चौडे मुख्य मार्ग पर स्थित है। रोड के साथ 100 फीट गहराई तक वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गई थी, जो दिनांक 05.03.15 को प्रकाशित हुई। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार नियमानुसार सक्षम स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाकर भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 03.11.14 में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की राय दी गई है।

8. **<u>प्रस्ताव</u>**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-

1. आवेदित स्थल आमेट से गंगापुर जाने वाले 100 फीट चौडे मुख्य मार्ग पर स्थित है। रोड के साथ 100 फीट गहराई तक वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है। अतः सडक के केन्द्र से 100' में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगा तथा 100' वृक्षारोपण पट्टी में किसी प्रकरण का निर्माण अनुज्ञेय नही होगा तथा इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010/पार्ट-।। जयपुर दिनांक 25.03.2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।
8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा नं. 78/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/बडी सादडी

	शहर कस्बे का नाम	बडी सादडी
1.	आवेदक का नाम	श्री बाबू लाल पिता श्री गंगाराम मेघवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बडी सादडी के खसरा नं0 543/1
3.	क्षेत्रफल	0.24 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	सार्वजनिक/अर्द्व सार्वजनिक
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	होटल प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि बडी सादडी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में सार्वजनिक/अर्द्व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्शित है मास्टर प्लान–2031 दिनांक 31.12.13 को लागू किया गया। जिसको अभी तक 2 वर्ष पूर्ण नही हुये है। प्रश्नगत भूमि बडी सादडी से बोहेडा जाने वाली मुख्य सडक के पश्चिम में प्रस्तावित 60 फीट सडक पर स्थित है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति राष्ट्रदूत एवं जन नायक समाचार पत्रो में (पृष्ठ 19–21/सी) दिनांक 08.05.14 को प्रकाशित करवाई गईं जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। । 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी के अनुसार में अन्य सामुदायिक सुविधाओं से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। 4. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 20.06.14 द्वारा प्रकरण में बडी सादडी के मास्टर प्लान को लागू हुये 2 वर्ष पूर्ण नही होने से बाबत राय दी गयी है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का सार्वजनिक/अर्द्व सार्वजनिक से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। बडी सादडी एक छोटा शहर है तथा पास ही में पास ही में बडी सादडी से बोहेडा मार्ग पर सीता माता अभ्यारण्य स्थित है, जिसकी वजह से पर्यटको का आवागमन लगा रहता है। अतः पर्यटन की दृष्टि से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के सार्वजनिक/अर्द्व सार्वजनिक से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. प्रश्नगत भूमि बडी सादडी से बोहेडा जाने वाली मुख्य सडक के पश्चिम में प्रस्तावित 60 फीट सडक पर स्थित है। अतः 60 फीट सडक के केन्द्र से 30 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। 2. भूखण्ड पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 6. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 79/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/बडी सादडी

	शहर कस्बे का नाम	बडी सादडी
1.	आवेदक का नाम	लैण्डमार्क एशोसिएट्स
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम मासाब का खेडा के खसरा नं0 116, 117 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9100 हैक्टयर
3.	क्षेत्रफल	1.91 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र तथा आंशिक भाग जनोपयोगी सुविधाऐं एवं सैकेण्ड्री/सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल हेतु आरक्षित
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि बडी सादडी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में 42.32 प्रतिशत भाग तथा जनोपयोगी सुविधाओं में 6.03 प्रतिशत भाग एवं सैकेण्ड्री/ सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल हेतु 1.88 प्रतिशत भाग तथा सडक मार्गाधिकार हेतु 48.77 प्रतिशत भाग आरक्षित मास्टर प्लान-2031 दिनांक 31.12.13 को लागू किया गया। जिसको अभी तक 2 वर्ष पूर्ण नही हुये है। आवेदित भूमि के मध्य में से 200 फीट एवं 60 फीट की प्रस्तावित सडके गुजर रही है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 14.02.15 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 04.03.15 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।	
8.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र तथा आंशिक भाग जनोपयोगी सुविधाऐं एवं सैकेण्ड्री/सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल हेतु आरक्षित से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। आवेदित सम्पूर्ण भूमि का क्षैत्रफल 1.91 हैक्टेयर है। जिसमें से सडक की भूमि के पश्चात आवेदक को लगभग 45 प्रतिशत क्षैत्रफल ही मिलता है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र तथा आंशिक भाग जनोपयोगी सुविधाऐं एवं सैकेण्ड्री/सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल हेतु आरक्षित से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित स्थल से मास्टर प्लान की 200 फीट व 60 फीट चौडी सडको में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क नगर पालिका के हक में सडक हेतु समर्पित की जावेगा। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 7. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 9. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडी सादडी, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 80/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/कपासन

	शहर कस्बे का नाम	कपासन
1.	आवेदक का नाम	श्री राजेश कुमार पिता बंशीलाल बारेगामा, कुमेश पिता रतनलाल सिरोया, राज पिता परसराम विजयवर्गीय एवं चन्द्र प्रकाश पिता रतनलाल सिरोया
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम कपासन की आराजी संख्या 6502, 6503, 6504, 6505 क्षेत्रफल 3.28 हैक्टेयर
3.	क्षेत्रफल	3.28 हैक्टेयर वर्गमीटर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :-** 1. प्रश्नगत भूमि कपासन नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है मास्टर प्लान-2023 दिनांक 09.02.04 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौडी सडक पर स्थित है। उक्त 100 फीट सडक को एम.डी.आर. 9 से पहुंफच मार्ग उपलब्ध होता है। भूमि के आस-पास आबादी विस्तार हो चुका है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति एवं जन नायक एपं उदयपुर एक्सप्रेस समाचार पत्रो में (पृष्ठ 9-10/सी एवं 12-13/सी) दिनांक 26.02.15 एवं 28.02.15 को प्रकाशित करवाई गई जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन के अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। 4. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 18.03.15 द्वारा प्रकरण में परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की सहमति दी है।	
8.	**प्रस्ताव :-** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षैत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :- 1. आवेदित स्थल मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौडी सडक पर स्थित है। अतः सडक के केन्द्र से 50 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सडक हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगा। 2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। 3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. योजना में अर्फोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी-2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा। 5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। 7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। 8. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 9. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 10. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 81/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/राजसमन्द

	शहर कस्बे का नाम	राजसमन्द
1.	आवेदक का नाम	श्री शिव नारायण पिता गिरधारी लाल पालीवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम हवाला के खसरा नं. 51/2, 52 रकबा 03–08–00 बीघा में से 56126.3 वर्गफीट
3.	क्षेत्रफल	0.65 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि राजसमन्द नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है मास्टर प्लान–2031 दिनांक 07.04.13 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। आवेदित स्थल कांकरोली–नाथद्वारा मुख्य मार्ग से कलेक्ट्रेट जाने वाली 100 फीट चौडी सडक पर स्थित है। मास्टर प्लान में उक्त सडक के साथ–साथ एकल गहराई तक (100 फीट तक) व्यवसायिक एवं तत्पश्चता शेष बची भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। मास्टरप्लान अनुसार सडक का मार्गाधिकार 100 फीट है। आस–पास में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। 2. आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति प्रातःकाल समाचार पत्र में (पृष्ठ 16/सी) दिनांक 17.10.14 को प्रकाशित करवाई गई जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। 3. आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द के अनुसार आवासीय से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। 4. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 12.01.15 द्वारा प्रकरण में आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की सहमति दी है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित स्थल कांकरोली–नाथद्वारा मुख्य मार्ग से कलेक्ट्रेट जाने वाली 100 फीट चौडी सडक पर स्थित है। मास्टर प्लान में उक्त सडक के साथ–साथ एकल गहराई तक (100 फीट तक) व्यवसायिक एवं तत्पश्चता शेष बची भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित है। मास्टर प्लान अनुसार सडक का मार्गाधिकार 100 फीट है। अतः सडक के केन्द्र से 50 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जावेगा। 2. भूखण्ड पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 6. यह स्वीकृति केवल भू–उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90–क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। 7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 87/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/बेगूं

	शहर कस्बे का नाम	बेगूं
1.	आवेदक का नाम	नगर पालिका, बेगूं
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम खांसा का खेड़ा की बिलानाम राजकीय भूमि आ0स0 156
3.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल 0.753 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2033)" में दर्शाया उपयोग	राजकीय/अर्द्व राजकीय
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	बस स्टेण्ड प्रयोजनार्थ
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूँ के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि बेगूं नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2033 में राजकीय/अर्द्व राजकीय प्रयोजनार्थ दर्शित है। मास्टर प्लान–2033 दिनांक 10.01.2010 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल बेगूं से काटून्दा मोड को जाने वाले मुख्य मार्ग के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है तथा काटून्दा मुख्य मार्ग की चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट है। 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूं द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 27.04.2015 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूँ द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 27.04.15 द्वारा राजकीय/अर्द्व राजकीय से बस स्टेण्ड प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशषा की है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का राजकीय/अर्द्व राजकीय से बस स्टेण्ड प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के राजकीय/अर्द्व राजकीय से बस स्टेण्ड प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :– 1. आवेदित स्थल बेगूं से काटून्दा मोड को जाने वाले मुख्य मार्ग के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है। अतः सड़क के केन्द्र से 50 फीट की दूरी में आने वाली भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। 2. बस स्टेण्ड में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 3. बस स्टेण्ड में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 4. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 5. बस स्टेण्ड का टाईप डिजाईन सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाना होगा। 6. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बेगूँ, वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 88/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/देवगढ़

	शहर कस्बे का नाम	देवगढ़
1.	आवेदक का नाम	श्री घनश्याम पिता मीठालाल खटीक
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम देवगढ़ के खसरा नं0 614/7
3.	क्षेत्रफल	1.08 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2032)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियंत्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ के अनुसार वैध है।

7. **प्रकरण के तथ्य :-**

1. प्रश्नगत भूमि देवगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2032 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र भू-उपयोग में दर्शित है। मास्टर प्लान-2032 दिनांक 12.07.2010 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि के उत्तर में पितापुरा जाने वाले रास्ते आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। उक्त रास्ते की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित की गई।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा 7 दिवस की सार्वजनिक आपत्ति सूचना आसपास समाचार पत्र में दिनांक 20.02.2015 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर आज दिन तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 27.04.2015 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।

8. **प्रस्ताव :-**

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है।

अतः निम्न शर्तो के अध्यधीन आवेदित भूमि के भण्डारण एवं गोदाम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-

1. आवेदित भूमि के उत्तर में पितापुरा जाने वाले रास्ते आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। उक्त रास्ते की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित की गई है। अतः 60 फीट सड़क का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा।
2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में आंतरिक सडकों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सडक के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।
6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
8. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़, उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

एजेण्डा नं. 95/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/देवगढ़

	शहर कस्बे का नाम	देवगढ़
1.	आवेदक का नाम	नगर पालिका देवगढ़
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	सुभाष नगर फेज–II में 30 बीघा की नगर पालिका/राजकीय भूमि
3.	क्षेत्रफल	34 बीघा में से 20 बीघा
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2032)" में दर्शाया उपयोग	विद्यालय, सरकारी व अर्द्ध–सरकारी कार्यालय एवं हास्पीटल
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (राजकीय महाविद्यालय)
6.	भू–स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ के अनुसार वैध है।
7.	**प्रकरण के तथ्य :–** 1. प्रश्नगत भूमि देवगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2032 में विद्यालय, सरकारी व अर्द्ध–सरकारी कार्यालय एवं हास्पीटल भू–उपयोग में दर्शित है। मास्टर प्लान–2032 दिनांक 12.07.2010 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत भूमि 60 फीट चौडी सडक पर स्थित है तथा आस–पास रिक्त भूमि स्थित है। भूमि देवगढ के आबादी क्षेत्र से 1.5 किमी दूरी पर है। 2. देवगढ के अनुमोदित मास्टर प्लान–2023 में महाविद्यालय हेतु आरक्षित भूमि निजी खातेदारों की है। नगर पालिका अनुसार भूमि आवाप्ति एवं बजट प्रावधान में आवश्यक विलम्ब तथा देवगढ नगर के आस–पास के क्षेत्र के लोगों को महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से नगर पालिका की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 30.09.2013 में प्रस्ताव सं. 7 के तहत राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति उपरान्त सुभाष नगर फेज–II में 30 बीघा भूमि राजकीय महाविद्यालय हेतु निशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है। 3. नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित भूमि को देवगढ मास्टर प्लान में आंशिक विद्यालय प्रयोजनार्थ एवं आंशिक सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय व चिकित्सालय दर्शाया गया है। अतः भूमि को मास्टर प्लान में शैक्षणिक (महाविद्यालय) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन अपेक्षित होगा। भूमि का क्षेत्रफल 64841 वर्गमीटर है। 4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैद्य है तथा आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है। 5. निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर पूर्व में विषयाधीन प्रकरण में निम्नानुसार तकनीकी राय प्रेषित की गई थी :– मास्टर प्लान में विद्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय व चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि (30 बीघा) के राजकीय महाविद्यालय हेतु आवंटन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथापि क्षेत्र की चिकित्सालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भूमि को यथावत रखते हुए शेष विद्यालय व सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय हेतु दर्शायी गई भूमि (लगभग 20 बीघा) में शैक्षणिक (राजकीय महाविद्यालय) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन एवं आवेदन की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है।	
8.	**प्रस्ताव :–** उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 5 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का शेष विद्यालय व सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (राजकीय महाविद्यालय) भू–उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नही है। मास्टर प्लान में विद्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय व चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि (30 बीघा) के राजकीय महाविद्यालय हेतु आवंटन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथापि क्षेत्र की चिकित्सालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भूमि को यथावत रखते हुए शेष विद्यालय व सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय हेतु दर्शायी गई भूमि (लगभग 20 बीघा) में शैक्षणिक (राजकीय महाविद्यालय) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन दी जा सकती है :– 1. प्रश्नगत भूमि 60 फीट चौडी सडक पर स्थित है तथा आस–पास रिक्त भूमि स्थित है। अतः 60 फीट सड़क का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा। 2. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। 3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। 4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। 5. बॉयो–टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। 6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। 7. उपरोक्त समस्त शर्तो की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।	
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तो के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक